न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 122/2020

उनवान

रामचन्द्र पुत्र कजोड जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 29.6.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी की है :–

चौसाला ख.न	रकबा	वर्किंग ख.न	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
3004	8–15–0 में से 5–17–0	3460	5–17–0	984 984/5707	0.24 0.71

वर्किंग खसरा नम्बर 3460 मिन रकबा 5–17–0 की आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 22.4.1978 को खातेदार सुखदेव पुत्र रायचन्द जाति जाट से कय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त विकय पत्र की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 149 दिनांक 13.12.1978 स्वीकृत किया गया। वादी कय दिनांक से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को बिना किसी कारण सिवायचक दर्ज कर दी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा वर्किंग जमाबंदी पेश नही की है। शेष तथ्य वादी स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधियत कयशुदा है ?
–– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?
[illegible]

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी रामचन्द्र के बयान [illegible] करवाये राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी [illegible] एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादी ने दिनांक 29.04.1978 को जरियें पंजीबद्व विकय पत्र ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3460 रकवा 5-17-0 की आराजी कय की थी। उक्त विकय पत्र की पालना में नामानतकरण संख्या 149 वादी के पक्ष में नियमानुसार स्वीकार किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 3460 का कुल रकवा 5-17-0 था। जिसमें से 1-9-0 वंर्किग जमावंदी में वादी के नाम दर्ज है तथा वंर्किग खसरा नम्बर 3460 मिन रकवा 4-8-0 सिवायचक खाते में दर्ज है। खसरा नम्बर 3460 के चौसाला खसरा नम्बर 3004 व 3005 थे। वंर्किग खसरा नम्बर 3460 मिन रकवा 4-8-0 जो कि वंर्किग जमावंदी में सिवायचक दर्ज है चौसाला खसरा नम्बर 3004 से बना है तथा चौसाला खसरा नम्बर 3004 चौसाला जमावंदी में विकेता सुखदेव पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज है। न्यायालय द्वारा तहसील नसीराबाद से भू संशोधन जमावंदी तलब की गयी जिसके खाता संख्या 424 में वंर्किग खसरा नम्बर 3460 रकवा 5-17-0 के मूल खातेदार सुखदेव पुत्र रामचन्द्र दर्ज है जो नामान्तकरण संख्या 149 से रामचन्द्र पुत्र कजोड वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी ने आराजी मुतनाजा विधिवत कय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा चौसाला जमावंदी में विकेता के नाम दर्ज थी। जिसका नामानतकरण भी वादी के पक्ष में विकय पत्र की पालना में स्वीकार किया गया। इसके बावजूद हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वंर्किग खसरा नम्बर 3460 के हाल खसरा नम्बर 984 रकवा 0.24 व 984/5707 रकवा 0.71 बने है। हाल खसरा नम्बर 984/5707 के सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के विकय पत्र व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली मे ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 वहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को ग्राम लारेहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 984/5707 रकवा 0.71 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/6/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 122/2020
पेश करने की दिनांक – 03.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम लारेहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 984/5707 रकबा 0.71 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज 29 माह 06 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:31 IST
Reason: SelfAttested